न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निशल संख्या 059/2013 निर्णय दिनांक :– 24-12-202

उनवानी दावा :

सुवालाल पुत्र श्री गोकुल जाति कीर उम्र 55 वर्ष निवासी अलेक्जेंडरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी, देवली तहसील देवली जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री रामलाल कटारिया
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी भूमिहीन किसान है। वादी के नाम से काश्त करने पर एवं परिवार का जीविका उपार्जन कि लिए कोई साधन नही है। वादी की कब्जा–काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 83 रकगा 0.37 है0 वाके ग्राम अलेक्जेंडरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त कृषि भूमि बंजड़ थी जिसको अपने पिता के जीवनकाल में लगभग 40 वर्षो पूर्व काफी रूपया खर्च कर तथा भूमि की लेवलिंग कर बालिग–काश्त बनाया। तब से लेकर आज–तक वादी के लिा व उसकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा–काश्त बिना किसी बाधा के निर्विघ्न एवं निरन्तर उक्त भूमि पर चला आ रहा है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में पी–14 सवंत 2047 आज तक दर्ज चला आ रहा है। संवत 2055 से उक्त आराजीयात पर काश्त करते हुए वादी ने सरकार को लगान व पेनल्टियां अदा करता आ रहा है। जबकि वादी का करीब 40 वर्षो से उक्त भूमि कब्जा–काश्त होने पर आज भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित है। वादी भूमिहीन काश्तकार है। वादी अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण उक्त भूमि की उपज से करता चला आ रहा है। वादी के पास परिवार का भरण–पोषण करने के लिए अन्य कोई जमीन नहीं है। वादी ने प्रशासन गांव के संग अभियान मे उक्त कब्जे–काश्त की भूमि को अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिये। जबकि वादी उक्त भूमि पर लगातार पिछले 40 वर्षो से काबिज– काश्त है। इस कारण वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी उक्त भूमि को अपनी खातेदारी में लगवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं. 2 अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर वादी को उसकी उक्त कब्जे–काश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तथा वादी को बेदखल कर अन्य को आवंटित करना चाहता है तथा गांव के कई प्रभावशाली आये दिन वादी को उक्त भूमि के कब्जे–काश्त उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण वाद वर्णित उक्त भूमि को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कर वादी को उक्त

भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायहित में प्रतिवादी नं. 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिए पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिए अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारियों के वादी को वाद वर्णित भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी को उक्त भूमि से बेदखल नही करे, वादी की उक्त भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे एवं पाबंद रहे। यदि प्रतिवादीगण नं. 2 को उक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो वादी को जबरन बेदखल कर देगें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादपत्र का चरण संख्या 1 स्वीकार नही है। वादपत्र का चरण संख्या 2 स्वीकार नही है। वादपत्र का चरण संख्या 2 स्वीकार नही है। वादपत्र का चरण संख्या 3 स्वीकार नही है। वादपत्र का चरण संख्या 4 स्वीकार नही है। वादपत्र का चरण संख्या 5 व 6 स्वीकार नही है। वादपत्र का चरण संख्या 7 लगायत 10 न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से जवाब अपेक्षित नही है। वादपत्र मे वर्णित भूमि ख. नं. 83 बरूह रिकार्ड पटवार सिवायचक सरकार की भूमि है जिस पर वादी द्वारा आवंटन/नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी धारा 88 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है वाद पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर सुनवाई जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2064–67, प्रदर्श–2 व 3, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श– 2 से 5 पी–14 सम्वत 2047, 2049, 2060, 2059 प्रदर्श–6 ता 10 खसरा परिवर्तनशील निर्धारण सम्वत 2049 ,2053, 2054, 2055, 2057 प्रदर्श–11 ता 14 खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2061, 2063, 2065, 2062 प्रदर्श–15 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–16 ता 18 लगान रशीदे पेश किये है। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी सुवालाल पुत्र श्री गोकुल जाति कीर निवासी अलेक्जेन्डरपुरा तहसील देवली का पेश किया है। पेरोकार सरकार द्वारा जिरह नही करने से वादी जिरह बन्द की जाकर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के पूर्वज व वादी खसरा नम्बर 83 रकबा 0.37 है0 पर 40 वर्षो से अधिक काश्त करता आ रहा है। आज भी वादी का कब्जा काश्त है और नियमानुसार वाद पेनल्टी अदा करता आ रहा है। इसके लिए वादी ने रिकॉर्ड पेश किया है। तहसीलदार देवली ने अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसके लिए उच्च न्यायालयो ने कई बार इस सम्बन्ध में एडवर्ज पजेशन के आधार पर खातेदारी देने हेतु निर्देशित किया है। वादी व वादी के परिवार का भरण पोषण इसी आराजीयात से होता है, वादी के पास इसके अलावा कोई आराजी नहीं है। 40 वर्षो से अधिक समय तक कब्जा काश्त होने से वादी

खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही बहस मानने हेतु प्रार्थना की।

तनकीवार निर्णयः–

तनकी नं. 1:– आया वादी विवादित आराजी ख. नं. 83 रकबा 0.37 है0 , वाके ग्रम अलेक्जेन्डरपुरा तहसील देवली आराजी कदीमी 40 वर्षो से निर्बाध कब्ज काश्त चले आ रहे है और अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है ?

–वादी–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2064–67, प्रदर्श– 2 से 5 पी–14 सम्वत 2047, 2049, 2060, 2059 प्रदर्श–6 ता 10 खसरा परिवर्तनशील निर्धारण सम्वत 2049 ,2053, 2054, 2055, 2057 प्रदर्श–11 ता 14 खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2061, 2063, 2065, 2062 प्रदर्श–15 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–16 ता 18 लगान रशीदे पेश किये है। विगत पी–14 की नकलो को प्रदर्शित करवाने से, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मूल भावना के तहत खातेदारी अधिकार तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही वादी द्वारा राजकीय अधिकारियो को पक्षकारान बनाने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना होता है जो कि वादी द्वारा नहीं दिया गया है। अतः वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध मे दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण तनकी नं. 1 को साबित करने में असफल रहा। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:– आया प्रतिवादी पेरोकार सरकार विवादित भूमि राजकीय भूमि है और वादी का कोई सरोकार नहीं है? दावा न्यायोचित नहीं है?

–पेरोकार सरकार–

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब व बहस में बताया कि वादी ने अपने वाद में खातेदारी देने के पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और वर्तमान में भी विवादित भूमि सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः तनकी नं. 1 के निर्णयानुसारः तनकी नं. 2 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(जो 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा :

सुवालाल पुत्र श्री गोकुल जाति कीर उम्र 55 वर्ष निवासी अलेक्जेंडरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

— वादीगण —

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी, देवली तहसील देवली जिला–टोंक

— प्रतिवादीगण —

दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 59 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामलाल कटारिया अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन् 2020 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....उपखण्ड अधिकारी.....

ओहदा .....देवली (टोंक).....

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए